

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा मुकाम भादरा
विक्रमसिंह बनाम सरदाराराम आदि

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 88-188 आर.टी.एक्ट नं० 150/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
6-07-2022	आज यह वाद जरिये वकील वादी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.08.2022 हो पेश है।	
8.8.22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... दिनांक 30.9.22 को पेश हो.	
30.9.22	पत्रावली पेश की वकील वादी उर्फ पत्रावली वाले तलवी हेतु दिनांक 05.12.22 को पेश हो.	
14.12.22	पत्रावली पेश की वकील श्री सहित देहू ने गडी सिडन लिट की सते ह कमालनाम पेश किया वकील वादी के अपने पत्र पर पत्रावली देखी ने की गयी वकील वादी व वादी ने तदुपरांत पत्र उष्टर कर निकेत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी वापिसना ही गणक है अतः पत्रावली ने होने वाले कार्यवाही नही मांवन / रफ्त स्ट्रेफ पर विद्वा मरपा, का निकेत किया। पत्रावली व अर्पण पत्र का रयानसुधन तत्कालीन किया गया वकील वादी एवं	नया दावा पेश करने की इजाजत से वादा विज्ञा करना चाहा है। विक्रमसिंह पं 670 अज

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

काठी स्वयं का उर्फ नर सीमा किफ
जाकर पञ्जावली जया रावा उरु मरु मी
अनुमती के साथ ही स्टेज पर not press
मी जारी है पञ्जावली मरु के काम मी
जाकर दारकील इफतर है